कार्यालय उप विकास आयुक्त–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, लातेहार।

निविदा आमत्रंण–सूचना

दिनांक 10.04.2017 को अध्यक्ष, जिला परिषद, लातेहार के अध्यक्षता में सम्पन्न जिला परिषद की मासिक बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 472 दिनांक 29.04.2017 के कण्डिका संख्या–37 में लिये गये निर्णयानुसार जिला परिषद कार्यालय के लिए 30KVA का जेनरेटर क्रय करने हेतु निबंधित/अधिकृत दूकानदारों से दिनांक 3/05/2017 को 4:00 बजे अपराह्न तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त मुहरबंद निविदाएँ दिनांक– 5 /6/2017 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में उप विकास आयुक्त, लातेहार के कार्यालय प्रकोष्ट में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी जिसमें निविदादाओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि अवश्य उपस्थित रहेंगे।

निविदा जमा करने का स्थान	:–	**कार्यालय जिला परिषद, लातेहार**
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	:–	**3/05/2017**
निविदा खोलने का स्थान	:–	**उप विकास आयुक्त, लातेहार का कार्यालय प्रकोष्ट**
निविदा खोलने की तिथि	:–	**5/6/2017**

निविदा की शर्ते :–

1. सभी निविदाएँ द्विलिफाफा प्रणाली (Double Envelops System) के अनुसार डाली जायेगी।
2. निविदादाता एक लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों **"तकनीकी बीड"** लिखकर मांगे गये सारे कागजात और प्रमाण पत्र (जमानत राशि का ड्राफ्ट) डालेंगे एवं उसे मुहरबंद करेंगे तथा उस पर अपना नाम एवं पता साफ–साफ लिखेंगे।
3. दूसरे लिफाफा पर साफ–साफ शब्दों में **"वित्तीय बीड"** अंकित करेंगे उस लिफाफे में केवल जेनरेटर का दर अंकित करेंगे। उस लिफाफा में दर के अलावे कोई कागजात नहीं डाला जायेगा। उस लिफाफे पर भी अपना नाम एवं पता साफ–साफ अंकित करेंगे।
4. तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड दोनों मुहरबंद लिफाफे को तीसरे लिफाफे में डाल कर बंद करेंगे और उस पर साफ–साफ लिखेंगे 30KVA के जेनरेटर हेतु निविदा। लिफाफे पर अपना नाम, पता एवं दूरभाष संख्या अंकित करेंगे तथा सचिव, जिला परिषद, लातेहार के नाम से मुहरबंद लिफाफा निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भेजेंगे/जमा करेंगे।
5. पहले तकनीकी बीड खोली जायेगी और निविदादाताओं की उपस्थिति में ही उनका मूल्यांकन किया जायेगा। जिन निविदादाताओं को तकनीकी रूप से योग्य पाया जायेगा उन्ही का वित्तीय बीड खोला जायेगा।

(क) तकनीकी निविदा की शर्ते :–

1. निविदा के साथ 10000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमानत की राशि के रूप में जमा करना होगा जो सचिव, जिला परिषद, लातेहार के पद नाम से भुगतेय होगा।
2. निविदादाताओं को विगत तीन वर्ष का ITR (Income Tax Return) एवं पैन नम्बर की छाया प्रति देना अनिवार्य होगा।

3. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ पत्र देना होगा।
4. आपूर्तिकर्ता को संबंधित फर्म/कम्पनी की जेनरेटर आपूर्ति करने का प्राधिकार पत्र जमा करना होगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें :–

1. वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदादाता आपूर्ति की जाने वाली जेनरेटर की दर अंकित करेंगे।

(ग) समान्य शर्तें :–

1. 30KVA के जेनरेटर आपूर्ति का तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग–अलग लिफाफा में देना अनिवार्य होगा।
2. जिनकी निविदा स्वीकृत की जायेगी उन्हे आपूर्ति आदेश मिलने पर 15 दिनों के अन्दर जेनरेटर जिला परिषद कार्यालय लातेहार में आपूर्ति करना होगा। आपूर्तिकर्ता को अलग से कोई परिवहन/हथालन देय नहीं होगा साथ ही ट्रान्सपोर्टेशन में किसी भी प्रकार के नुकसान एवं क्षतिपूर्ति की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
3. जेनरेटर आपूर्ति हेतु अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। जेनरेटर के आपूर्ति के पश्चात् सफल संचालन एवं इन्टोलेशन के 15 दिनों के पश्चात् भुगतान किया जायेगा।
4. किसी भी समय निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा। जिसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जायेगा।
5. सूचना प्रकाशन संबंधित जानकारी NIC, Latehar के Website latehar.nic.in पर एवं अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी देखा जा सकता है।

13/5/17

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, लातेहार।

d:\uday pratap (dpm)\letter\all letter.docx